अर्द्धशा0 परिपत्र सं: डीजी- 64/2014

आनन्द लाल बनर्जी
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1-तिलक मार्ग, लखनऊ ।
दिनांक: अक्टूबर 06, 2014

प्रिय महोदय,

पुलिस की वर्दी हमारी पहचान है। निर्धारित पुलिस वर्दी में अधिकारी/पुलिस कर्मी शासन की संवैधानिक शक्तियों का एक जीवंत प्रतीक है, जिससे शासन एवं प्रशासन की छवि बनती है। जब पुलिस कर्मी साफ सुथरी एवं चुस्त-दुरूस्त वर्दी धारण कर जनता के सामने जाते हैं, तब पुलिस के प्रशिक्षण, जनता की समस्याओं से निपटने की त्वरित कार्यवाही क्षमता (Battle Readiness) का अहसास होता है, साथ ही पुलिस के साथ जुड़ी हुई पुलिस विभाग एवं शासन की महत्ता को प्रदर्शित करती है। इसके विपरीत जब पुलिस कर्मी बेडौल-शरीर एवं विपरीत खराब वर्दी धारण कर जनता के सामने जाते हैं तो शक्ति रहित संगठन का सन्देश देते हैं और कालान्तर में इसी के कारण हमे कानून लागू करने से (Law enforcement) के दायित्वों के निर्वहन में जनता से उच्च कोटि का सहयोग एवं सम्मान हासिल करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

2. मैं चाहूँगा कि हम सभी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी नियमित रूप से निर्धारित एवं चुस्त-दुरूस्त वर्दी धारण कर जनता में विस्मयपूर्ण आदर की भावना उत्पन्न करें, ताकि किसी भी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी के मात्र अच्छे टर्नआउट से ही हम जनता में एक अलग छाप छोड़ सकें । इलेक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मीडिया में अक्सर पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तस्वीरे प्रकाशित होती हैं, जो आन्तरिक सुरक्षा के मामलों में पुलिस को जनता के बीच रहते हुए कर्तव्यपालन को दर्शाती है। इन तस्वीरों में भी मैंने पाया है कि ज्यादातर अधिकारी/कर्मचारी या तो बिना कैप/टोपी धारण किये नजर आते हैं अथवा वर्दी के नियमों के विपरीत तरह-तरह के स्वनिर्मित/अनियमित/असवैंधानिक कैप/टोपी धारण किये हुए होते हैं। यहाँ तक की पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ चल रहे हमराही भी इसी प्रकार की अनुचित कैप/टोपी धारण कर जनता के बीच जाते हैं। **यह भी पाया जाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की महिला पुलिस कर्मी तो हर जगह बिना कैप पहने हुए ही दिखाई देती हैं।** कुछ अनियमित कैप/टोपी की तस्वीरें संलग्न कर नमूने के तौर पर इस पत्र के साथ प्रेषित की जा रहीं हैं । यह भी पाया जाता है कि पुलिस कर्मी जिनमें महिला पुलिस कर्मी भी सम्मिलित हैं, ग्रीष्मकालीन वर्दी की शर्ट जो नियमानुसार बाँह मुड़ी होनी चाहिये उसे बेतरतीब तरीके से मोड़कर पहनते हैं। इसके अतिरिक्त कमर की पेटी कमर से नीचे लटकी हुई पहनते हैं तथा वर्दी के जूतों के अलावा विभिन्न प्रकार के स्पोर्टस शू पहने रहते हैं एवं नेम प्लेट भी धारण नहीं करते हैं, जो सर्वथा अनुचित है।

3. यह भी देखने में आया है कि कुछ अधिकारियों द्वारा अपने स्पेशल फोर्सेज़ बनाए गए हैं तथा अपने स्तर से उन्हें विशेष वर्दी भी प्रदान की है, जैसे काला हेडगेयर अथवा कमाफ्लेज़ वर्दी, डांगरी आदि, जो निर्धारित वर्दी के नियमों के विपरीत है। ऐसी सभी प्रकार के विशेष वर्दी पर तत्काल रोक लगाई जाती है, कोई भी विशेष दस्ता किसी भी दशा में ऐसी अनिर्धारित वर्दी नहीं पहनेंगे, यह आप अपने जोन में सुनिश्चित कर लें। इस प्रकार की अनुचित परम्परा को

अनदेखा कर हम उच्च पदों पर आसीन अधिकारी अपने निहित उत्तरदायित्वों के प्रति उदासीनता दर्शा रहे हैं जो विभाग के हित में नहीं है । हम सभी का यह उत्तरदायित्व है कि ऐसी अनुचित परम्परा पर कठोर रूख अपनाते हुए हम रोक लगायें।

4. आपको निर्देशित किया जाता है कि आप मेरी मंशा से अपने अधीनस्थ प्रभारी जनपदीय पुलिस अधीक्षकों को अवगत करायें एवं स्वयं उनके माध्यम से उपरोक्त स्थितियों में आमूल-चूल परिवर्तन लाने हेतु प्रयास करें। यदि 31 अक्टूबर के बाद किसी भी जनपद में ऐसा दृष्टान्त पाया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक के प्रति प्रतिकूल धारणा बनाई जायेगी जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगे ।

5. अतः मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूँ कि मेरी इन अपेक्षाओं के प्रति जागरूक रहते हुए स्वयं तथा अपने अधीनस्थों से कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें ताकि हम इस विभाग की एक अच्छी छवि जनता के सामने रख सकें ।

संलग्नकःयथोपरि

भवदीय,

06/X/14

(आनन्द लाल बनर्जी)

समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन, उ0प्र0
समस्त पुलिस महानिरीक्षक,रेलवे, उ0प्र0 ।

1. प्रतिलिपि समस्त विभागध्यक्ष, पुलिस विभाग, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि वह अपनी इकाई में भी उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

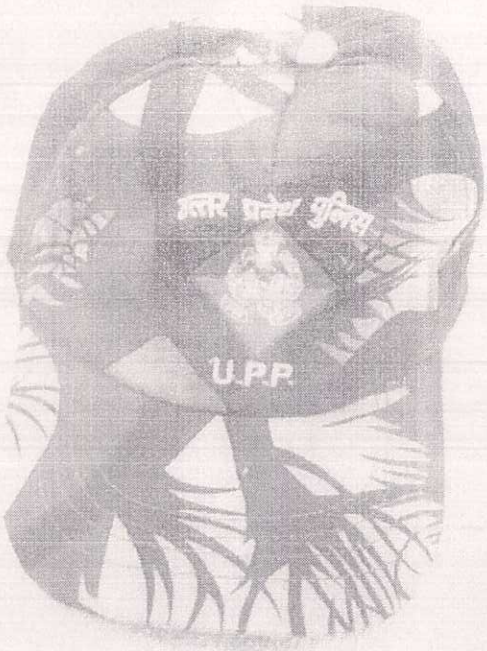
U.P.P.

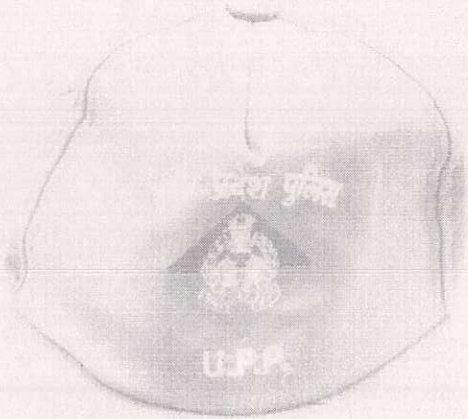
U.P.P.